



अन्तिम डिकी मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:-206/2024

लालचन्द पुत्र श्री पतराम जाति जाट साकिन मंडी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

वादी

बनाम

1. दलीप चन्द पुत्र श्री पतराम जाति जाट साकिन मंडी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. हरबंश लाल पुत्र श्री राम चन्द्र जाति अरोडा साकिन वार्ड नं. 02 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. श्री मान शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

दावाअन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादी की ओर से श्री इन्द्र जीत सिंह अधिवक्ता, व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री चैन सिंह अधिवक्ता हाजिर व राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 522 दिनांक 02.06.25 के आधार पर वाद पत्र अन्तिम डिकी किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा अन्तिम डिकी का भाग रहेगा निम्नानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम की जाती है-

1. लाल चन्द पुत्र पतराम जाति जाट साकिन मण्डी पीलीबंगा:- चक 15 पीबीएन खाता संख्या 109/99 प.न. 27/315 मु.न. 32 किला न. 9/.189, 10 ता 16 की 1.771, किला न. 17/.127 है. कुल 2.087 है.
2. दलीप चन्द पुत्र पतराम जाति जाट साकिन मण्डी पीलीबंगा :- चक 15 पीबीएन खाता संख्या 109/99 प.न. 27/315 मु.न. 32 किला न. 1 ता 8 की 2.024 है. , 9/.064 की 2.088 है0
3. हरबंस लाल पुत्र रामचन्द्र जाति अरोडा निवासी मण्डी पीलीबंगा:- चक 15 पीबीएन खाता संख्या 109/99 प.न. 27/315 मु.न. 32 किला न. 17/.126, 24-25 की 0.632 है. कुल 632 है.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30/07/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पिलीबंगा